**संख्या:107/2015/3406जेएल/22-3-14-100(64)/2014**

**प्रेषक,**

**आर0के0 द्विवेदी,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**महानिरीक्षक,**
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 28 अप्रैल, 2015***

**विषय:** केन्द्रीय कारागार, आगारा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामकरन यादव पुत्र स्व0 राम अवध यादव को केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-38237/सामा-1(3)/17 भाग-II/नैनी मं0/2011, दिनांक 19-12-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, आगारा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामकरन यादव पुत्र स्व0 राम अवध यादव को केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त बंदी भविष्य में केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में अच्छा आचरण बनाये रखेगा।

**2-** कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

**संख्या:107/2015/3406जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा/नैनी, इलाहाबाद।
4. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in